

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-14072026-274452
SG-DL-E-14072026-274452असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 179]	दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 2026/आषाढ 19, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 103
No. 179]	DELHI, FRIDAY, JULY 10, 2026/ASHADHA 19, 1948	[N. C. T. D. No. 103

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (डीओपी) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 9 जुलाई, 2026

फा. सं. 11 / 30 / गृह-डीओपी / 2026 / 470-482.—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्षम प्राधिकारी, एतद् द्वारा श्री जीवेश तिवारी, सीजीएससी को दिनांक 12.05.2026 के अपने पत्र के माध्यम से दिल्ली पुलिस द्वारा यथा प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1)/3(5) तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(द)/3(1)(घ)/3(1)(फ), पुलिस थाना उत्तम नगर, नई दिल्ली के अंतर्गत केस एफआईआर संख्या 122/2026 के मामले में माननीय परीक्षण न्यायालय के साथ-साथ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं।

यह माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल,
के आदेश से तथा उनके नाम पर
एल0के0 गौतम, उप-सचिव (गृह-डीओपी)

HOME (DOP) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 9th July, 2026

F. No. 11/30/H-DOP/2026/470&482.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 18 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023, the Competent Authority is pleased to appoint Sh. Jivesh Tiwari, CGSC as Special Public Prosecutor to represent the State before the Ld. Trial Court as well as Hon'ble High Court of Delhi in the matter of case FIR No. 122/2026, U/s 103(1)/3(5) BNS & U/s 3(1)(r)/3(1)(s)/3(1)(v) SC/ST Act, PS Uttam Nagar, New Delhi as proposed by Delhi Police vide their letter dated 12.05.2026.

This issues with the approval of Hon'ble Lieutenant Governor, GNCT of Delhi.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
L. K. GAUTAM, Dy. Secy. (HOME-DOP)